रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग). 222 व्यक्ति मारे गये और 155 घायल हुए। गाड़ी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मुआवजा केवल मृत्यु या गम्भीर रूप से घायल होने की हालत में ही दिया जाता है। सत्रह व्यक्तियों, जिनकी मृत्यु हो गई थी और जिन्हें पहचाना नहीं गया, के दावे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत 186 दावे प्राप्त हुए हैं। इन मामलों में लगभग 88,69,067 रुपये के मुआवजे का दावा किया गया है।

(घ) 186 दावों में, तदर्थ/पदेन दावा आयुक्तों द्वारा अभी तक 38 दावों के सम्बन्ध में फैसला किया गया है और मुआवजे के रूप में 5,53,104 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। एक रेल कर्मचारी के मामले में, जिसकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी, कामगार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत 21,000 रुपये की देय राशि कामगार प्रतिकर के आयुक्त के पास जमा कर दी गई है।

(ङ) दावों सम्बन्धी बाकी आवेदनों पर तदर्थ/पदेन दावा आयुक्तों की कचहरियों में अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है। तदर्थ/पदेन दावा आयुक्तों के निर्णय के आधार पर इन दावों का भुगतान कर दिया जायेगा और रेल प्रशासन की ओर से इसमें कोई बिलम्ब नहीं किया जायेगा। इस रेल कर्मचारियों के मामले, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी, सम्बन्धित रेल प्रशासन के विचाराधीन हैं। पांच रेल कर्मचारी, जो ड्यटी के दौरान घायल हो गये थे, बीमारों की सूची में हैं और कामगार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के भुगतान के प्रयोजन के लिए उनकी उपार्जन क्षमता में हुई कमी का अनुमान लगाया जायेगा और उन्हें भुगतान कर दिया जायेगा।

व्यापारियों द्वारा न्यायालयों में दायर किये गये दावों के मामले

3652. **श्री लक्ष्मण राव मानकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारियों अथवा माल पाने वाले व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में दायर किए गए रेलवे के दावों के मामलों में कितने प्रतिशत मामलों में रेलवे के पक्ष में निर्णय होता है ;

(ख) क्या ऐस क्लेम के दावों में से रेलवे द्वारा केवल पांच प्रतिशत दावे ही जीते जाते हैं ;

(ग) रेलवे द्वारा जारी किए गए नुकसान के पत्र (सर्टिफिकेट) के आधार पर किए गए दावों को जिनको न्यायालय में जीतने की सम्भावना नहीं होती तुरन्त समझौता क्यों नहीं किया जाता ; और

(घ) ऐसे मामलों पर न्यायालय के खर्च को बचाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पिछले तीन वर्षों 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के दौरान व्यापारियों अथवा माल पाने वाले व्यक्तियों द्वारा रेल प्रशासन के विरुद्ध जो मामले दायर किये गये, उनमें से 30.2, 29.5 और 28.4 प्रतिशत मामलों का निर्णय रेलवे के पक्ष में हुआ था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जैसे ही कोई दावा प्राप्त होता है, उसकी भारतीय रेल अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत जांच की जाती है। यदि कोई दावा ठीक पाया जाता है और दावेदार द्वारा समय पर जरूरी दस्तान्वेज संलग्न कर दिये जाते हैं तो इस दावे का जल्द ही निपटारा कर दिया जाता है और भुगतान की व्यवस्था की जाती है। यदि कोई दावा कानून के अनुसार भुगतान के योग्य नहीं होता है तो रेल प्रशासनों द्वारा उसे अस्वीकार करना पड़ता है। रेल प्रशासनों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किये गये दावों, जैसे नुकसान को बढ़ा कर बताना अथवा झूठे बीजक प्रस्तुत करना अथवा खोयी व क्षतिग्रस्त वस्तुओं की किस्म के विषय में गलत बयान करना आदि शामिल हैं, के बारे में भी सावधानी बरतनी होती है।

(घ) रेल प्रशासनों के पास पहल से ही ऐसी हिदायतें हैं कि ऐसे दावे जो कि कानून के अनुसार भुगतान के योग्य हैं, अस्वीकार न किये जायें। दावे किन्हीं ठोस कारणों से ही अस्वीकृत किये जाते हैं। अस्वीकार किये गये अथवा कम भुगतान किये गये दावों पर याचिकाओं की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है। मामलों की न्यायालयों में भेजने से पहले बारीकी से समीक्षा की जाती है। न्यायिक मामलों की पूर्ण रक्षा हेतु रेलवे ऐडवोकेटों को हिदायतें देने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाती है। इस बात का भी प्रयत्न किया जाता है कि मुकदमेबाजी पर अनावश्यक खर्च न हो।

Rail Link between Eastern and Western part of Orissa

3653. SHRI JENA BAIRAGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there was a proposal to connect the Eastern part and Western Part of Orissa by Rail Line from Cuttack to Sambalpur *via* Meramandi in view of urgent need for greater integration of different parts of Orissa; and

(b) if so, steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). A survey for construction of a line form Talcher to Sambalpur which will connect eastern and western part of Orissa *via* Meramandoli has been included in this year's Budget. The survey work will be taken up shortly. Cuttack and Talcher are already connected by a railway line.

Kolhapur-Ratnagiri Railway Line

3654. SHRI RAJARAM SHANKARRAO MANE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the work of survey of new Kolhapur-Ratnagiri Railway line will be taken in hand; and

(b) if so, by what time the survey of this work will be completed; and in which year of which plan this work will be started?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). It will be difficult to take up the survey for this project at present on account of paucity of resources.

Splitting up of Planning and Development Division

3655. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Planning and Development Division also was split up with the splitting up of Fertilizer Corporation; and

(b) if so, into how many divisions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM